



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31012023-243309
CG-MH-E-31012023-243309

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]
No. 32]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
अधिसूचना

मुम्बई, 11 जनवरी, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/114.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में, -
 - विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, -
 - खंड (खख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात् :

“(खख) “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक)” का अर्थ है – प्रबंध-मंडल के वे मुख्य व्यक्ति जिनका उल्लेख कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (51) में दी हुई परिभाषा में किया गया है;”

(ii) खंड (खखख) के बाद और खंड (गगग) से पहले, निम्नलिखित खंड (खखखख) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“(खखखख) “वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” (ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल) का अर्थ है - निर्गमकर्ता (इश्युअर) के वे अधिकारी और कर्मचारी जो उसके प्रबंध-मंडल के मुख्य दल [जिसमें निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) शामिल नहीं हैं] के सदस्य हों, और जिसमें प्रबंध-मंडल के वे सभी सदस्य भी शामिल होंगे जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर) या प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) या पूर्णकालिक निदेशक (होल टाइम डायरेक्टर) या प्रबंधक से एक स्तर नीचे के हों [जिसमें वे मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंधक भी शामिल होंगे, जो निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) का हिस्सा न हों], और जिसमें खास तौर पर कार्यों के प्रमुख (चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए) और कंपनी सचिव तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल होंगे।”

II. विनियम 163 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) में, शब्दों और चिह्न “या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों” के स्थान पर, शब्द और चिह्न “, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों या वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।

III. अनुसूची-VI में, भाग-क में, -

(i) खंड (5) में, उप-खंड (छ) में,

क) मद (18) में, शब्दों और चिह्न “या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों”, के स्थान पर शब्द और चिह्न “, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों या वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” आ जाएँगे।

ख) मद (19) में, शब्दों और चिह्न “या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों” के स्थान पर शब्द और चिह्न “, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों या वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” आ जाएँगे।

ग) मद (21) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के किसी मुख्य व्यक्ति” के बाद शब्द और चिह्न “या वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।

(ii) खंड (8) में, उप-खंड (ख) में, मद (त) में,

क) क्रम सं. (x) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति” के बाद शब्द और चिह्न “और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।

ख) क्रम सं. (xv) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति” के बाद और शब्दों “और पूर्णकालिक सदस्यों” से पहले, शब्द और चिह्न “, वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।

ग) क्रम सं. (xvi) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के वरिष्ठ प्रमुख व्यक्ति”, के स्थान पर शब्द और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” आ जाएँगे।

घ) क्रम सं. (xvii) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति” के बाद शब्द और चिह्न “और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।

(iii) खंड (9) में, उप-खंड (ख) [जिसका शीर्षक “निधियों की अपेक्षा” है] में, मद (3) में, शब्दों “मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक” के स्थान पर शब्द और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति, वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” आ जाएँगे।

(iv) खंड (10) में, -

क) उप-खंड (ड) [जिसका शीर्षक “शेयरधारकों के करार और अन्य करार” है] में, मद (ख) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों” के बाद और शब्दों “या निदेशक” से पहले, शब्द और चिह्न “या वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।

ख) उप-खंड (च) [जिसका शीर्षक “प्रबंधतंत्र” है] में,

i. मद (क) [जिसका शीर्षक “निदेशक मंडल” है] में, क्रम सं. (iv) में शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों” के बाद शब्द और चिह्न “या वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।

ii. मद (ज) में,

- क) मद (ज) के शीर्षक में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति” के बाद शब्द और चिह्न “और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।
- ख) क्रम सं. (i) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों” के बाद शब्द और चिह्न “और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।
- ग) क्रम सं. (ii) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के किसी भी मुख्य व्यक्ति” के बाद शब्द और चिह्न “और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।
- घ) क्रम सं. (iii) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के किसी भी मुख्य व्यक्ति” के बाद शब्द और चिह्न “या वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।
- ङ) क्रम सं. (iv) में, शब्दों “मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक” के स्थान पर शब्द और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” आ जाएँगे।
- च) क्रम सं. (v) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति” के बाद शब्द और चिह्न “और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।
- छ) क्रम सं. (vi) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति” के बाद शब्द और चिह्न “और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।
- ज) क्रम सं. (vii) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के प्रत्येक मुख्य व्यक्ति” के बाद शब्द और चिह्न “और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।
- झ) क्रम सं. (viii) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति”, जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, के बाद शब्द और चिह्न “या वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।
- ञ) क्रम सं. (ix) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति” के बाद शब्द और चिह्न “और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।
- ट) क्रम सं. (x) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति” के बाद शब्द और चिह्न “और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।

IV. अनुसूची-VI में, भाग-ख में, खंड (4) में,-

- (i) उप-खंड (VIII) [जिसका शीर्षक “निर्गम के विवरण” है] में, मद (ख) [जिसका शीर्षक “पैसों (निधियों/फंड्स) की जरूरत” है] में, क्रम सं. (3) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों,” के बाद और शब्दों “सहयोगी कंपनियों” से पहले, शब्द और चिह्न “वरिष्ठ प्रबंध-मंडल,” जोड़े जाएँगे।
- (ii) उप-खंड (X) [जिसका शीर्षक “प्रबंध-मंडल (निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल) और संगठनात्मक ढाँचा” है] में, मद (ख) में, शब्दों और चिह्न “मुख्य प्रबंध-मंडल” के स्थान पर शब्द और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों” आ जाएँगे।

V. अनुसूची-VI में, भाग-ख-1 में,

- (i) खंड (5) में, उप-खंड (छ) में, मद (16) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों,” के बाद और शब्दों “के हित” से पहले, शब्द और चिह्न “या वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे तथा शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति,” के बाद और शब्दों “को अदा किया जाएगा” से पहले, शब्द और चिह्न “या वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।
- (ii) खंड (5) में, उप-खंड (छ) में, मद (18) में, शब्दों और चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों” के बाद शब्द और चिह्न “या वरिष्ठ प्रबंध-मंडल” जोड़े जाएँगे।
- (iii) खंड (9) में, उप-खंड (ख) [जिसका शीर्षक “पैसों (निधियों/फंड्स) की जरूरत” है] में मद (3) में, शब्दों और चिह्न “संप्रवर्तकों (प्रमोटर्स), निदेशकों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, सहयोगी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा परिभाषित)” के स्थान पर शब्द और चिह्न “संप्रवर्तकों

(प्रोमोटर्स), संप्रवर्तक समूह, निदेशकों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल" आ जाएँगे।

(iv) खंड (11) में, उप-खंड (ग) [जिसका शीर्षक "प्रबंध-मंडल" है] में, मद (घ) में,-

- क) मद (घ) के शीर्षक में, शब्दों और चिह्न "प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति" के बाद, शब्द और चिह्न "और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल" जोड़े जाएँगे।
- ख) क्रम सं. (i) में, शब्दों और चिह्न "प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों" के बाद शब्द और चिह्न "और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल" जोड़े जाएँगे।
- ग) क्रम सं. (ii) में, शब्दों और चिह्न "प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों", जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, के बाद शब्द और चिह्न "और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल" जोड़े जाएँगे।
- घ) क्रम सं. (iii) में, शब्दों और चिह्न "प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति" के बाद शब्द और चिह्न "और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल" जोड़े जाएँगे।

VI. अनुसूची-VIII में, भाग-क में, खंड (21) में, उप-खंड (ख) और उप-खंड (ग) में, शब्दों और चिह्न "और प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों", जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, के स्थान पर शब्द और चिह्न "प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल" आ जाएँगे।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./550/2022-23]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 तत्पश्चात् -
 - (क) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57, द्वारा
 - (ख) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/05, द्वारा
 - (ग) 5 अप्रैल, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/08, द्वारा
 - (घ) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/29, द्वारा
 - (ङ) 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/35, द्वारा
 - (च) 6 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/42, द्वारा
 - (छ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/47, द्वारा

- (ज) 1 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/01, द्वारा
- (झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (ञ) 8 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/011, द्वारा
- (ट) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/17, द्वारा
- (ठ) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/18, द्वारा
- (ड) 1 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/21, द्वारा
- (ढ) 28 सितम्बर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/31, द्वारा
- (ण) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/03, द्वारा
- (त) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/18, द्वारा
- (थ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- (द) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/45, द्वारा
- (ध) 26 अक्टूबर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/52, द्वारा
- (न) 14 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/63, द्वारा
- (प) 27 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/82, द्वारा
- (फ) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/90, द्वारा

- (ब) 21 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/107, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th January, 2023

(Securities and Exchange Board of India) (Issue of Capital and Disclosure Requirements)

(Amendment) Regulations, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/114.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, -
 - I. in regulation 2, in sub-regulation (1),
 - (i) clause (bb) shall be substituted with the following clause, namely:

“(bb) “key managerial personnel” shall mean the key managerial personnel as defined in sub-section (51) of section 2 of the Companies Act, 2013;”
 - (ii) after clause (bbb) and before clause (ccc), the following clause (bbbb) shall be inserted, namely:

“(bbbb) “senior management” shall mean the officers and personnel of the issuer who are members of its core management team, excluding the Board of Directors, and shall also comprise all the members of the management one level below the Chief Executive Officer or Managing Director or Whole Time Director or Manager (including Chief Executive Officer and Manager, in case they are not part of the Board of Directors) and shall specifically include the functional heads, by whatever name called and the Company Secretary and the Chief Financial Officer.”
 - II. in regulation 163, in sub-regulation (1), in clause (c), after the words “directors”, the words “or key managerial personnel” shall be substituted with the words and symbol “, key managerial personnel or senior management” shall be inserted.
 - III. In Schedule VI, in Part A-
 - (i) in clause (5), in sub-clause (G),
 - a) in Item (18), the words “or key management personnel”, shall be substituted with the words and symbol “, key managerial personnel or senior management”.
 - b) in Item (19), the words “or key managerial personnel”, shall be substituted with the words and symbol “, key managerial personnel or senior management”.
 - c) in Item (21), after the words “key managerial personnel”, the words “or senior management” shall be inserted.
 - (ii) in clause (8), sub-clause (B), in Item (p),
 - a) in point (x), after the words “key managerial personnel”, the words “and senior management” shall be inserted.

- b) in point (xv), after the words “key managerial personnel” and before the words and symbol “and whole-time directors”, the words and symbol “, senior management” shall be inserted.
 - c) in point (xvi), the words “senior managerial personnel” shall be substituted by the words and symbol “key managerial personnel, senior management”.
 - d) in point (xvii), after the words “key managerial personnel”, the words “and senior management” shall be inserted.
- (iii) in clause (9), in sub-clause (B) titled “Requirement of funds”, in Item (3), after the words and symbol “key managerial personnel,” and before the words “and group companies”, the words “senior management” shall be inserted.
- (iv) in clause (10)-
- a) in sub-clause (E) titled “Shareholders’ agreements and other agreements”, in Item (b), after the words “key managerial personnel” and before the words “or director”, the words “or senior management” shall be inserted.
 - b) in sub-clause (F) titled “Management”,
 - i. in Item (a) titled “Board of Directors”, in point (iv) after the words “key managerial personnel”, the words “or senior management” shall be inserted.
 - ii. In Item (h),
 - a) in the heading of Item (h), after the words “Key Managerial Personnel”, the words “and Senior Management” shall be inserted.
 - b) in point (i), after the words “key managerial personnel”, the words “and senior management” shall be inserted.
 - c) in point (ii), after the words “key managerial personnel”, the words “and senior management” shall be inserted.
 - d) in point (iii), after the words “key managerial personnel”, the words “or senior management” shall be inserted.
 - e) in point (iv), after the words “key managerial personnel”, the words “and senior management” shall be inserted.
 - f) in point (v), after the words “key managerial personnel”, the words “and senior management” shall be inserted.
 - g) in point (vi), after the words “key managerial personnel”, the words “and senior management” shall be inserted.
 - h) in point (vii), after the words “key managerial personnel”, the words “and senior management” shall be inserted.
 - i) in point (viii), after the words “key managerial personnel”, wherever appears, the words “or senior management” shall be inserted.
 - j) in point (ix), the words “key management personnel” shall be substituted with the words “key managerial personnel and senior management”.
 - k) in point (x), after the words “key managerial personnel”, the words “and senior management” shall be inserted.
- IV. In Schedule VI, Part B, in clause (4),
- (i) in sub-clause (VIII) titled “Particulars of the Issue”, in Item (B) titled “Requirement of Funds”, in point (3), after the words and symbol “key managerial personnel,” and before the words “associate companies”, the words and symbol “senior management,” shall be inserted.

- (ii) in sub-clause (X) titled “Management (Board of Directors and Senior Management) and Organisational Structure”, in Item (B), the words “key management”, shall be substituted by the words “key managerial personnel”.
- V. In Schedule VI, in Part B-1,
- (i) in clause (5), in sub-clause (G), in Item (16), the words “or key management personnel”, appearing after the word “directors” and before the words “of the issuer”, shall be substituted with the words and symbol “, key managerial personnel or senior management” and the words “or key managerial personnel”, appearing after the word “directors” and before the words “of the issuer”, shall be substituted with the words and symbol “, key managerial personnel or senior management”.
- (ii) in clause (5), in sub-clause (G), in Item (18), after the words “key managerial personnel”, the words “or senior management” shall be inserted.
- (iii) in clause (9), in sub-clause (B) titled “Requirement of funds”, in item (3), the words “and key managerial personnel” shall be substituted by the words and symbol “, key managerial personnel and senior management”.
- (iv) in clause (11), in sub-clause (C) titled “Management”, in Item (d),
- a) in the heading of Item (d), after the words “Key Managerial Personnel”, the words “and Senior Management” shall be inserted.
 - b) in Point (i), after the words “key managerial personnel”, the words “and senior management” shall be inserted.
 - c) in Point (ii), after the words “key managerial personnel”, the words “and senior management” shall be inserted.
 - d) in Point (iii), after the words “key managerial personnel”, the words “and senior management” shall be inserted.
- VI. In Schedule VIII, Part A, in clause (21), in sub-clause (b) and sub-clause (c), the words “and the key managerial personnel”, wherever appears, shall be substituted by the words and symbol “, the key managerial personnel and senior management”.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./550/2022-23]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was subsequently amended on -
 - (a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.
 - (b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/05.
 - (c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.
 - (d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/29.

- (e) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/35.
- (f) December 06, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/42.
- (g) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/47.
- (h) January 01, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/01.
- (i) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (j) May 08, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/11.
- (k) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/17.
- (l) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/18.
- (m) July 1, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/21.
- (n) September 28, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/31.
- (o) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/03.
- (p) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/18.
- (q) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- (r) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/45.
- (s) October 26, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/52.
- (t) January 14, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2022/ 63.
- (u) April 27, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/82.

- (v) July 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/90.
- (w) November 21, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/107.